पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डीएन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 ई0 (कार्तिक 05, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–43

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	247–251	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	321–323	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	53–56	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2007 ई०

संख्या 784/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 14 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए "उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" ज्ञात नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करते हैं।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 784/XVIII(2)/07**, dated October 10, 2007 for general information :

NOTIFICATION

October 10, 2007

No. 784/XVIII(2)/07--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor hereby establishes for the State of Uttarakhand an Authority to be known as the **"Uttarakhand Disaster Management Authority"**.

10 अक्टूबर, 2007 ई०

संख्या 1198/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 14 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा "उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" को निम्नलिखित रूप में गठित करते हैं :–

1.	मा० मुख्यमंत्री	– अध्यक्ष (पदेन)
2.	मा० आपदा प्रबन्धन मंत्री	– उपाध्यक्ष
3.	मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	– सदस्य
4.	मा० पेयजल एवं सिंचाई मंत्री	– सदस्य
5.	मा० परिवहन मंत्री	– सदस्य
6.	मा० ग्राम्य विकास मंत्री	– सदस्य
7.	राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव)	– सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन)
8.	प्रमुख सचिव, वित्त	– सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	– सदस्य

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1198/XVIII(2)/07**, dated October 10, 2007 for general information :

NOTIFICATION

October 10, 2007

No. 1198/XVIII(2)/07--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor is pleased to Constitute the

Uttarakhand Disaster Management Authority as follows :–

1.	Honb'le Chief Minister	– Chairperson (Ex-officio)
2.	Honb'le Disaster Management Minister	– Vice Chairperson
3.	Hon'ble Medical and Health Minister	– member
4.	Honb'le Drinking Water and Irrigation Minister	– member
5.	Honb'le Transport Minister	– member
6.	Honb'le Rural Development Minister	– member
7.	Chairperson of State Executive Committee (Chief Secretary)	– member and Chief Executive Officer (Ex-officio)
8.	Principal Secretary, Finance	– member
9.	Principal Secretary, Disaster Management	– member

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHAYAL,
Principal Secretary.

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

31 अगस्त, 2007 ई०

संख्या 1077 / वि०स० / 109 / अधि० / 2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या 1125 / वि०स० / 03 / अधि० / 2000, दिनांक 09 नवम्बर, 2004 द्वारा सृजित सहायक लेखाधिकारी के एक अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष वेतनमान रु० 7450–225–11500 (पुनरीक्षित) में श्री लक्ष्मी चन्द, लेखाकार, विधान सभा को एतद्द्वारा आदेश जारी होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है।

20 सितम्बर, 2007 ई०

संख्या 1140 / वि०स० / 11 / अधि० / 2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या 654 / वि०स० / 03 / अधि० / 2000, दिनांक 27 जुलाई, 2006 द्वारा वेतनमान रु० 6500–200–10500 में सृजित निजी सचिव के 03 अस्थाई रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नांकित अपर निजी सचिवों को आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से मा० अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है :–

1. श्री पदमेन्द्र सिंह नेगी,
2. श्री विनेश चन्द्र राणा,
3. श्री भुवन चन्द्र मिश्रा

20 सितम्बर, 2007 ई०

संख्या 1143 / वि०स० / 126 / अधि० / 2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या 103 / वि०स० / अधि० / 03 / 2000, दिनांक 22 सितम्बर, 2001 द्वारा सृजित पुस्तकाध्यक्ष के एक अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष वेतनमान रु० 8000–275–13500 में श्रीमती वन्दना हरिव्यासी, उप पुस्तकाध्यक्ष, विधान सभा को आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से मा० अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है।

20 सितम्बर, 2007 ई०

संख्या 1144 / वि०स० / 12 / अधि० / 2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या 131 / वि०स० / अधि० / 08 / 2000, दिनांक 18 जनवरी, 2001, सं० 236 / वि०स० / 03 / अधि० / 2000, दिनांक 28 फरवरी, 2001 एवं सं० 1541 / वि०स० / 03 / अधि० / 2000, दिनांक 06 जुलाई, 2002 द्वारा सृजित अनुभाग अधिकारी के 06 रिक्त पदों वेतनमान रु० 6500–200–10500 के सापेक्ष निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो

भी बाद में हो, से मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है :-

1. श्री बुद्धि बल्लभ ममगांई,
2. श्री नरेन्द्र सिंह रावत,
3. श्री नीरज थापा,
4. श्री नीरज कुमार गौड़,
5. श्री मनोज कुमार,
6. श्री राजेन्द्र सिंह राठौर,

आज्ञा से,

ह0/-

महेश चन्द्र,

सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

27 अगस्त, 2007 ई0

संख्या 654(i)/XXVIII-2-2007-156/2006-राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग उत्तराखण्ड के ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान रु0 10000-325-15200 में कार्यरत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों के नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान रु0 12000-375-16500 में अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

01. डा0 बी0एस0 कनियाल
02. डा0 देवेन्द्र सिंह रावत
03. डा0 ओम प्रकाश शर्मा
04. डा0 रमेश चन्द्र नैनवाल

2-उपरोक्त प्रोन्नत संयुक्त निदेशकों को एक वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,

सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

15 सितम्बर, 2007 ई0

संख्या 721/XXVIII-2-2007-156/2006-कार्यालय ज्ञाप सं0 654(i)/XXVIII-2-2007-156/2006, दिनांक 27-08-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक 01 पर अंकित डा0 बी0एस0 कनियाल के नाम के स्थान पर डा0 डी0एस0 कन्याल पढ़ा जाय तथा क्रमांक 03 पर अंकित डा0 ओम प्रकाश शर्मा की दिनांक 30-06-2007 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति एतदद्वारा निरस्त की जाती है।

2-कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 28-07-2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त कार्यालय ज्ञाप में शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

मनीषा पंवार,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

11 अक्टूबर , 2007 ई०

संख्या 552 / XXVII(8) / वाणि०कर / 2007–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 को कालम–4 के अनुसार एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नव तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री शिव शंकर यादव	जाँच चौकी कौडिया, पौड़ी गढ़वाल	जाँच चौकी कुआहेड़ी, हरिद्वार
2.	श्री गजेन्द्र कुमार	जाँच चौकी कौडिया, पौड़ी गढ़वाल	जाँच चौकी कुल्हाल, देहरादून
3.	श्री महेश वालिया	जाँच चौकी चौली, हरिद्वार	जाँच चौकी कौडिया, पौड़ी गढ़वाल
4.	श्री रमेश चन्द्र डिमरी	जाँच चौकी चिड़ियापुर, हरिद्वार	जाँच चौकी कौडिया, पौड़ी गढ़वाल
5.	श्री मनवर सिंह रावत	जाँच चौकी शाहगंज, ऊधमसिंह नगर	जाँच चौकी कौडिया, पौड़ी, गढ़वाल
6.	श्री ए०पी० शर्मा	मण्डल कार्यालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, खण्ड–2, हरिद्वार

2–उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

एल०एम० पन्त,
अपर सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 43 हिन्दी गजट / 492–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 ई0 (कार्तिक 05, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, जिला जज, चम्पावत

कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र

28 सितम्बर, 2007 ई0

पत्रांक 580/I–6–2007—प्रमाणित किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चम्पावत का पदभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के नोटिफिकेशन सं0 129/UHC/Admin.A/2007, दिनांक सितम्बर 25, 2007 के अधीन आज दिनांक 28–9–2007 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

कुमकुम रानी,
रिलीविंग ऑफिसर।

प्रतिहस्ताक्षरित
महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

उत्तरांखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून

अधिसूचना

अगस्त 07, 2007

संख्या एफ–9(12)/यूईआरसी/2007/434–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 (प्रधान विनियम) में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्–

यह विनियम दिनांक 18–08–2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन–

(1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007" होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनकी प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 4 (3) के खण्ड (क) में–

(1) उपखण्ड (i) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा।)"

(2) उपखण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्:–

"परन्तु यदि आवेदक ऊपर (i) से (v) तक सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक से (बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के अतिरिक्त)पर क्रमशः विनियम 5 (10) में दी गयी सारणी 1 व विनियम 5 (10) के खण्ड (iii) के अनुसार प्रतिभूति राशि का तीन गुना प्रभार लिया जाएगा। परिसर का स्वामी, यदि उपभोक्ता से भिन्न है तो, ऐसे संयोजन के लिए किसी देय के भुगतान हेतु दायी नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि प्रथम परन्तुक के अधीन आ चुके मामलों में अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति की वर्ष में दो बार, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल व पहली अक्टूबर को, समीक्षा व पुनर्निर्धारण करने तथा अगले बिलिंग चक्र के विद्युत बिल में इसका समायोजन करने का अधिकार होगा।

परन्तु यह भी कि यदि उपभोक्ता नियत समय के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गयी प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के अनुसार, उपभोक्ता को तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात् उस अवधि हेतु विद्युत आपूर्ति रोक सकता है, जिस अवधि तक विफलता जारी रहती है।"

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में–

(1) उप–विनियम (2) के पहले वाक्य में "आवेदन प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप–विनियम (7) के पहले वाक्य में वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से" के स्थान पर वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप–विनियम (8) में वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" के स्थान पर वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती या यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उप–विनियम (8) के अंत में वाक्यांश "पांच दिन के भीतर" के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) उप–विनियम (10) के खण्ड (iii) के तीसरे वाक्य में "दो माह के औसत उपभोग" वाक्यांश के स्थान पर "दो बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) उप–विनियम (11) के खण्ड (ख) में वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि का शोधन, दोनों में से, जो बाद में हो" के स्थान पर वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि के शोधन (वसूली) की तिथि या आवेदन की तिथि, जो भी बाद में हो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(7) उपविनियम (11) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा:–

स्पष्टीकरण:–इस विनियम के लिए "आवेदन" से अभिप्राय है– आवश्यक प्रभारों के भुगतान व अन्य अनुपालनों को दर्शाते हुए दस्तावेजों के साथ उपयुक्त प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन।

4. प्रधान विनियमों में विनियम 8 के पश्चात् विनियम 9 के रूप में निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा:–

"9. व्यावृत्तियाँ–

(1) जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ–

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।

(3) शिथिलिकरण की शक्ति–

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलिकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।"

आयोग के आदेश द्वारा,

आनंद कुमार
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 43 हिन्दी गजट/492–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 ई0 (कार्तिक 05, 1929 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), चमोली

अधिसूचना

गोपेश्वर : 06 अक्टूबर, 2007 ई0

संख्या 146 / 21–138 / अधि0 / उपनि0 / 07–उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का पद जो कि निर्वाचित प्रतिनिधि के त्यागपत्र के कारण से रिक्त हो गया है, तथा जो माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 489 / रा0नि0आ0अनु–2 / 721 / 2006, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के आदेश निर्गत करते हुए उप निर्वाचन की समय–सारणी नियत की गई है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में मैं, डी0एस0 गब्र्याल, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), चमोली, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जिला चमोली में उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के उक्त प्रकार से रिक्त स्थान / पद पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार करायें जायेंगे :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
16.10.2007 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 15.00 बजे तक)	16.10.2007 (अपराह्न 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.10.2007 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 14.00 बजे तक)	22.10.2007 (पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 14.00 बजे तक)	22.10.2007 (अपराह्न 15.00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक)

2–यह निर्वाचन उत्तराखण्ड (उ0प्र0) जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 5(2) के अन्तर्गत होंगे और निर्धारित प्रपत्र–1 पर भी नोटिस सभी जिला पंचायत सदस्यों के ज्ञात पते पर भेजे जायेंगे।

3–उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड (उ0प्र0) जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अनुसार संपन्न होगा। यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम 12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय में सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना संपन्न कर निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग की अनुमति से यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

डी0एस0 गर्ब्याल,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(प0),
चमोली।

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंह नगर

सूचना

06 अक्टूबर, 2007 ई0

पत्रांक 182/पं0निर्वा0/सूचना/उप निर्वा0/2007–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद ऊधमसिंह नगर की क्षेत्र पंचायत, सितारगंज के प्रमुख क्षेत्र पंचायत के रिक्त पद/स्थान का उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 490/रा0नि0आ0अनु0–2/721/2006, देहरादून, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 के अनुपालन में निम्नांकित विवरण के अनुसार एवं निर्धारित समय–सारणी के अनुसार किया जायेगा।

इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

निर्धारित समय–सारणी

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
15.10.2007 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 15.00 बजे तक)	16.10.2007 (अपराह्न 15.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	17.10.2007 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 15.00 बजे तक)	18.10.2007 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 15.00 बजे तक)	18.10.2007 (अपराह्न 15.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उपरोक्त उप निर्वाचन के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी रिटर्निंग आफिसर (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त की जा सकती है।

नोट–नाम निर्देशन पत्र क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड मुख्यालय पर प्राप्त किये जायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० स्थानीय) रुद्रप्रयाग

नागरस्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम

15 अक्टूबर, 2007 से 19 जनवरी, 2008 तक

अक्टूबर 11, 2007 ई०

पत्रांक 78 / पं०नि०ना०पु० / 2007—माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 518 / रा०नि०आ०अनु०-2 / 734 / 2007, दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 के अनुसार प्रदेश की समस्त नगरपालिका परिषदों / नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अधिसूचना के क्रम में, मैं, डी० सेंथिल पांडियन, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), रुद्रप्रयाग, जनपद की समस्त नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायतों की मतदाता सूचियों का निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम अधिसूचित करता हूं :—

समय-सारणी

नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम

क्र० सं०	कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
(क) 1.	नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति	15.10.2007 से 19.10.2007 तक	05 दिन
2.	कार्य क्षेत्र आवंटन तथा तद्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	22.10.2007 से 24.10.2007 तक	03 दिन
3.	प्रशिक्षण अवधि	25.10.2007 से 28.10.2007 तक	04 दिन
(ख)	संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	29.10.2007 से 21.11.2007 तक	20 दिन
(ग)	प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	22.11.2007 से 29.11.2007 तक	08 दिन
(घ)	प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	30.11.2007 से 19.12.2007 तक	20 दिन
(ङ)	निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	20.12.2007 से 26.12.2007 तक	07 दिन
(च)	दावे / आपत्ति दाखिल करने की अवधि	27.12.2007 से 02.01.2008 तक	07 दिन
(छ)	दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	03.01.2008 से 09.01.2008 तक	07 दिन
(ज)	पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	10.01.2008 से 14.01.2008 तक	05 दिन
(झ)	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन	19.01.2008	—

2–पुनरीक्षण कार्यक्रम में 01 जनवरी, 2008 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित किये जायेंगे।

3–विस्तृत पुनरीक्षण के इस कार्यक्रम हेतु नियुक्त किये गये संगणकों द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक कार्ड तैयार करने के पश्चात् मतदाता सूची तैयार की जायेगी। जो आगामी नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

4–विस्तृत पुनरीक्षण के इस कार्यक्रम में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील, जिला मजिस्ट्रेट को उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन की जा सकती है।

डी0 सेंथिल पांडियन,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
रुद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/492–गाग 3–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।